सूचना

सहायक प्रोग्रामर पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात दिनांक 01.09.2016 को पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायालय के वेबसाइट एवं सूचना पटल पर प्रदर्शित कर आज दिनांक 08.09.2016 तक दावा आपत्ति आहूत की गयी थी प्राप्त दावों पर चयन समिति द्वारा बैठक कर विचार किया गया एवं निम्नानुसार प्राप्त दावों का निराकरण किया गया।

1. <u>अभ्यर्थी पूनमचंद यादव के दावा का निराकरण</u> :–

इस अभ्यर्थी द्वारा यह दावा किया गया है कि वह जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा के सर्वर रूम में विगत चार वर्षों से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। उसके द्वारा सर्वर रूम में प्रभारी के रूप में सर्वर इन्स्टालेशन, सी.आई.एस एण्ट्री, वेबसाईट डिजाइन, हार्डवेयर रिपेयरिंग, फाईलिंग, डाटा बेस से संबंधित कार्य किया जाता है। वह आवश्यक योग्यता पूर्ण करता है इसलिए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पुनः विचार करें।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक की जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हुई है और इनके द्वारा कम्प्यूटर आपरेशन से संबंधित कार्य संपादित किया जाता है इनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों में निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं :–

1. इनके अनुभव प्रमाण पत्र में ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करना लेख है। जबकि ईकोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गठित समिति ही कार्य करती है और उक्त समिति के द्वारा कार्य हेतु उसकी नियुक्ति किये जाने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं है।

2. अभ्यर्थी द्वारा केवल जिला न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में इंस्टाल किये गये साफ्टवेयर के केवल संचालन का ही कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा किसी साफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने एवं इनके पास प्रोग्रामिंग करने की क्षमता के संबंध में न तो कोई उल्लेख ही किया गया है और न ही कोई प्रमाण पत्र ही संलग्न है। साथ ही वह जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में लिपिक सहायक ग्रेड–3 के पद पर कार्यरत है। विशेषतः उनके द्वारा कम्प्यूटिंग के संबंध में नियुक्ति होने और तत्संबंधी कार्य इनके द्वारा किये जाने का प्रमाण एवं अनुभव उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः अभ्यर्थी द्वारा पेश अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पद हेतु आवश्यक अनुभव की अर्हता की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है।

2. <u>अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत मेश्राम के दावा का निराकरण–</u>

इस अभ्यर्थी द्वारा अपने पात्र सूची में लिखित शैक्षणिक अर्हता की जानकारी में अपने डिग्री में सुधार हेतु आवेदन किया है जिसमें इनकी डिग्री एम.सी.ए के स्थान में बी.ई. कम्प्यूटर साईंस अंकित हो गया है।

समिति द्वारा इनके आवेदन पत्र का अवलोकन कर लिपिकीय त्रुटि के इस त्रुटि में सुधार कर आवेदक के वास्तविक डिग्री एम.सी.ए. की प्रविष्टि की गयी।

3. अभ्यर्थी हिराधर धीवर के दावा का निराकरण–

इस अभ्यर्थी का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया था कि उसके द्वारा आवेदन पत्र मूल रूप से प्रस्तुत न कर मूल आवेदन की रंगीन छायाप्रति प्रस्तुत की गयी थी। जिसे अभ्यर्थी स्वयं अपने दावा में स्वीकार करता है चूंकि आवेदन मूल रूप से प्रस्तुत नहीं है जबकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जावेगे। रंगीन छायाप्रति के रूप में प्राप्त आवेदन विज्ञापन अनुसार प्राप्त आवेदन नहीं है। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात एवं आवेदन निरस्त किये जाने के पश्चात् मूल आवेदन का प्रस्तुत किया जाना विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन है, अतः इस अभ्यर्थी का भी दावा निरस्त किया जाता है।

4. अभ्यर्थी अनुप शर्मा के दावा का निराकरण–

अभ्यर्थी का यह दावा किया है कि उसने अपना आवेदन समय सीमा के भीतर दिनांक 23.08.2016 को कचहरी डाकघर रायपुर से इस कार्यालय को प्रेषित किया था। किन्तु आवेदक का नाम पात्र/अपात्र सूची में नहीं है। अभ्यर्थी के दावा आवेदन से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा प्रेषित आवेदन इस चयन समिति को प्राप्त नहीं हुआ है। चयन समिति द्वारा पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी किये जाने के पश्चात् इस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन डाक विभाग की त्रुटि से जिला पंचायत बलौदाबाजार में दिया जाना कहकर डाक विभाग की गलती के कारण समय सीमा में नहीं पहुंच पाना बताते हुये परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया गया। समिति द्वारा आवेदक के दावा पर विचार किया गया, विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित था कि अभ्यर्थियों का आवेदन दिनांक 27.08.2016 तक आवश्यक रूप से जिला न्यायालय कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए था। अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी थी कि वह समय सीमा के भीतर आवेदन जिला एवं सत्र न्यायालय में पहुंचने की व्यवस्था करता। चूंकि समय सीमा के भीतर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः दावा आवेदन निरस्त किया गया जो विज्ञापन के निर्देश एवं शर्तों के अनुसार है। अतः अभ्यर्थी का दावा निरस्त किया जाता है।

5. अभ्यर्थी शशि कुमार सिन्हा के दावा का निराकरण –

आवेदक ने अपने आवेदन में सहायक प्रोग्रामर पद हेतु अनुभव मान्य किये जाने का निवेदन किया है। आवेदक के आवेदन एवं अनुभव प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें आवेदक जिला पंचायत जशपुर में परियोजना प्रबंधक संविदा के पद पर कार्यरत हैं जबकि विज्ञापित पद हेतु स्पष्ट रूप से यूनिक्स/ओपेन सोर्स साफ्टवेयर/विन्डोज एन.टी./ प्रोग्रामिंग/ साफ्टवेयर डेव्लपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव का उल्लेख है जो आवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेख नहीं होने से आवेदक का यह दावा निरस्त किया जाता है।

09.09.16

अध्यक्ष
चयन समिति

नोट: यह सूचना 7 दिवस पश्चात वेब साईट से विलोपित कर दिया जावेगा।